पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकासः

115. मेरी सरकार के गत् कार्यकाल में मैंने भेड़पालकों को राहत देते हुए भेड़ों के लिए **"अविका कवच योजना"** प्रारंभ की थी, परंतु कालान्तर में इसे बंद कर दिया गया। इसे अब पुनः चालू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत SC,ST एवं BPL के किसानों द्वारा भेड़ों का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 70 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इससे भेड़ों की मृत्यु होने पर किसानों को बीमित राशि प्राप्त हो सकेगी।

116. हमनें वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कुल एक हजार 600 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी, परंतु फिर भी प्रदेश की 4 हजार 160 ग्राम पंचायतों में अभी भी पशु चिकित्सालय की कोई इकाई स्थापित नहीं है। आगामी वर्षो में चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप–केन्द्र खोले जाने की घोषणा करती हूँ।

117. वर्तमान में 8 पंचायत समिति तथा 2 तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्थापित नही है। अतः आगामी वर्ष में पंचायत समिति धनाऊ एवं पाटोदी–बाड़मेर, पाँचु–बीकानेर, डोबडा–डूँगरपुर, जालसू–जयपुर, बापिनी एवं शेखाला–जोधपुर, झल्लारा–उदयपुर तथा तहसील झोथरी–डूँगरपुर और बागोडा–जालौर में संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

118. जयपुर,कोटा,जोधपुर एवं उदयपुर में संचालित संभाग स्तरीय बहुदेश्यीय पशु चिकित्सालयों में Colour Doppler Machine एवं अन्य आधुनिक रोग निदान उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

119. पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान के बीकानेर में ही राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, जहाँ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तरीय हॉस्पीटल एवं रिसर्च सेंटर स्थित है, इसका लाभ प्रदेश के पशुपालकों को देने के लिए सभी सात संभागीय मुख्यालयों के Polyclinics को Telemedicine के माध्यम से जोड़ने की घोषणा करती हूँ।

120. गत् दो वर्षो में खोले गये एक हजार 600 नवीन पशु चिकित्सा उप–केन्द्रों में आवश्यक फर्नीचर, औजार एवं उपकरण हेतु 8 करोड़ रूपये तथा एक हजार 500 पशु चिकित्सा संस्थाओं को पानी–बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

121. नाबार्ड के तहत 200 पशु चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण 49 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत से करवाया जायेगा।

122. महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से वर्ष 2017–18 में एक हजार नवीन महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।

123. राज्य की शेष बची सभी पंजीकृत महिला दुग्ध समितियां जिसमें मिल्को टेस्टर नही है, उन सभी समितियों में मिन्को टेस्टर देने की घोषणा करती हूँ।

124. राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017–18 में गंभीरी बाँध जिला चितौड़गढ़ पर 5 करोड़ रूपये की लागत से क्षेत्रीय Fish brood bank की स्थापना की जायेगी।

125. राज्य की पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए आगामी वर्ष में 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 4 हजार पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा।

126. पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 822 करोड़ 37 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान से 17.47 प्रतिशत अधिक है।